(2)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–122/2023

RCMS NUMBER 2023/122

अनवान :–

1. पृथ्वीराज
2. भूपराम
3. कृष्णलाल

पुत्रगण श्री बगड़ावत जाति बिश्नोई, निवासीगण चक 7 बी.जी.डी., तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

4. पालाराम
5. मूर्तिदेवी पत्नी श्री आत्माराम पुत्र श्री बगड़ावत जाति बिश्नोई निवासी चक 7 बी.जी.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. संदीप नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मूर्तिदेवी धर्मपत्नी श्री आत्माराम पुत्र श्री बगड़ावत
7. विष्णु जाति बिश्नोई निवासी चक 7 बी.जी.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

जरिये मुखत्यारआम तरूण कुमार सबरवाल पुत्र श्री गुलशन कुमार सबरवाल जाति खत्री निवासी सतीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. नक्षत्र सिंह पुत्र श्री संता सिंह, जाति जटसिख निवासी चक 16 एच., तहसील व जिला अनूपगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

––रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 320 चक 2 के.एस.एम. दिनांक 03.11.2023

उपस्थित :– 1. श्री रामप्रताप तिवाड़ी अधिवक्ता ––अपीलाण्ट

2. श्री लालचंद वर्मा व अमरजीत सिंह संधू अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट सं. 1

3. पैरोकारराज ––रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांक : 15-5-24

अपीलाण्ट ने यह अपील दिनांक 21.12.2023 को तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा चक 2 के एस.एम. के पत्थर नंबर 191/59 (13) व पत्थर नंबर 211/4 (23) की 7.539 हैक्टेयर भूमि के संबंध में स्वीकृत इंतकाल संख्या 320 दिनांक 03.11.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

इस अपील में अपीलाण्ट ने उक्त इंतकाल आदेश दिनांक 3.11.2023 को चुनौती देते हुए यह कथन किये है कि प्रश्नगत भूमि श्री सोहनलाल पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई को दिनांक 19.05.1982 को आवंटित हुई थी जो उनके जीवनकाल में उनके कब्जा काश्त में रही तथा उनकी मृत्यु दिनांक 02.04.1990 के पश्चात यह भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा अपीलाण्ट के चाचा/ससुर/दादा ने एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 23.03.1990 के जरिये अपीलाण्ट संख्या 1 से 4 व अपीलाण्ट संख्या 5 ता 7 के पति/पिता आत्माराम के पक्ष में निष्पादित की थी व इस वसीयत के अनुसार मौका पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट ने यह कथन भी किये है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 का स्व0 श्री सोहनलाल के साथ न तो कोई परिचय था व ना ही आना जाना था। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने स्व0 श्री सोहनलाल की दिनांक 21.04.1999 को फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार कर व नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाई है तथा सोहनलाल का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.03.2000 सरपंच ग्राम पंचायत 19 जीबी से जारी करवाकर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, सूरतगढ से इस वसीयत के आधार पर दिनांक 18.05.2023 को प्रोबेट जारी करवाकर स्व0 श्री सोहनलाल की प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में दिनांक 03.11.2023 को अपीलाधीन इंतकाल के जरिये दर्ज करवा ली है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रोबेट के आधार पर इंतकाल दर्ज करने से पूर्व ना तो प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया व ना ही कब्जा काश्त की जांच की। इस कारण यह अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया है कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 18.05.2023 के अन्तर्गत रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में जिस वसीयत के आधार पर प्रोबेट जारी किया है, वह वसीयत सही थी या नहीं, यह देखा जाना चाहिए था तथा तहसीलदार के समक्ष भी यह प्रोबेट प्रस्तुत होने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार मिसल तैयार की जाकर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाना व आपत्ति आमत्रिंत की जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रोबेट के संबंध में पारित निर्णय के आधार पर ही इंतकाल दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जो न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत है तथा एक तरफा होने से यह इंतकाल खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन इंतकाल आदेश की जानकारी दिनांक 19.12.2023 को होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम विलम्ब को माफ करने व स्वयं को प्रभावित पक्षकार होना प्रकट करते हुए धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेंट की तलबी की गई। प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलकत भूमि अपीलांट संख्या 01 ता 4 के चाचा व अपीलांट स0 5 के चाचा ससुर तथा अपीलांट संख्या 6 व7 के दादा श्री सोहनलाल पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 19 बीबी तहसील पदमपुर हाल निवासी चौहिलांवाली तहसील हनुमानगढ के नाम से जरिये मिसल जी श्रेणी/214 निर्णय दिनांक 19.05.1982 को तहसील सूरतगढ के चक 3 केएसएम हाल तबदील चक 2 केएसएम के प.न. 191/59(13) के कि.न. 1 ता 20 की 20 बीघा व प.न. 211/14 के कि.न. 16 ता 25 की 10 बीघा कमांड कुल 30 बीघा भूमि आवंटन हुई थी उनके जीवनकाल में उनका कब्जाकाश्त रहा तथा उनकी मृत्यु दिनांक 2.4.1990 के पश्चात हम वारिसान अपीलांटगण का इस भूमि पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलांट के चाचा/ससुर/दादा ने एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 23.03.1990 को अपीलांट संख्या 1 ता 4 के नाम व अपीलांट संख्या 5 ता 7 के पति/पिता आत्माराम के नाम करवा दी थी उपरोक्त भूमि पर हम अपीलांटगण का वसीयत अनुसार मौका पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 01 जो अपीलांट व अपीलांटगण के चाचा सहीराम का न

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Sondhia
Date: 2024.06.24 13:45:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

तो कोई परिचित था ना ही उसके साथ कोई आना जाना था नक्षत्रसिंह द्वारा एक फर्जी एवं कूटरचित सोहनलाल के नाम की वसीयत दिनांक 21.04.1999 तैयार करवाकर तथा नोटेरी से तस्दीक करवाकर एवं सोहनलाल का फर्जी मृत्युप्रमाण दिनांक 13.03.2000 सरपंच ग्राम पंचायत 19 बीबी से जारी करवाकर तथाकथित फर्जी वसीयत का प्रोबेट न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ से दिनांक 18.05.2023 को अपने नाम जारी करवाकर सोहनलाल की भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दिनांक 03.11.2023 को दर्ज करवा ली अदालत मातहत ने बिना कोई वारिसान की सुनवाई एवं बिना कब्जाकाश्त को देखे इंतकाल की कार्यवाही की है जबकि उक्त भूमि प्रार्थीण की है प्रार्थीगण इंतकाल स्वीकृती दिनांक 3.11.2023 से पूर्णतया प्रभावित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने कथन किया कि न्यायालय के आदेश व डिक्री की अपील नहीं की जा सकती है। आपीलांट द्वारा गलत तरीके से अपील पेश की गई है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सूरतगढ द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रोबेट जारी की गई है, जिसमें सभी तथ्यों की पूर्ण जांच कर निर्णय पारित किया गया है। तथा मौके पर उक्त भूमि पर कब्जा रेस्पोडेंट के पास है।

उभय पक्ष की बहस को सुनने के पश्चात मनन किया गया चूंकि अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है तथा अपीलांट के हित प्रभावित होते है अतः उक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता हैं।

तत्पश्चात मियाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 19.12.2023 ये पूर्व कतई नहीं थी। दिनांक 19.12.2023 को रेस्पोडेंट संख्या 1 अपीलांटगण की भूमि पर आये और उन्होने कहा कि यह भूमि हमने अपने नाम करवा ली है। इस भूमि से अपना कब्जा हटाओ हम इस भूमि को बेचान करेंगें। जिस पर अपीलांटगण ने इंतकाल की नकल हासिल की रूपयों का इंतजाम किया तत्पश्चात वकील नियुक्त कर इलम से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की गई। अतः दरख्वास्त धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि आपीलांट द्वारा गलत तरीके से अपील पेश की गई है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सूरतगढ द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रोबेट जारी की गई है, जिसमें सभी तथ्यों की पूर्ण जांच कर निर्णय पारित किया गया है। तथा मौके पर उक्त भूमि पर कब्जा रेस्पोडेंट के पास है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है इसलिए अपील खारिजी योग्य है।

उभय पक्ष की बहस को सुनने के पश्चात मनन किया गया उक्त विवेचनो के आधार पर अपीलांट ने जो देरी का कारण अंकित किया है वो संतोषजनक है प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त व न्यायोचित समझते है अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं, तथा अपील पेश करने मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर अंदर मियाद शुमार की जाती हैं।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलाण्ट को नोटिस जारी नहीं किया तथा ही भू–राजस्व नियमों की पालना व प्रक्रिया अपनाई। रेस्पोडेंट सख्या 1 के पक्ष में जारी प्रोबेट जिस वसीयत के आधार पर जारी हुआ है, वह वसीयत फर्जी व कूटरचित है। तहसीलदार ने इस प्रोबेट के संबंध में कथित वसीयत की कोई जांच नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

की है तथा आनन फानन में इंतकाल दर्ज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेसपोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश माननीय अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ़ द्वारा धारा 276 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण सख्या 44/2022 में वसीयत दिनांक 21.04.1999 के सम्यक निष्पादन को प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर सिद्ध मानकर अपने निर्णय दिनांक 18.05.2023 के अन्तर्गत प्रोबेट जारी करने के आदेश पारित किये है तथा यह आदेश एक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कर प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अपीलाधीन इंतकाल आदेश एक सक्षम न्यायालय की डिक्री व आदेश के अनुसरण में पारित हुआ है तथा जब तक कोई पीड़ित व्यक्ति सक्षम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18.05.2023 को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देता है तब तक ऐसे आदेश अथवा डिक्री के आधार पर पारित इंतकाल आदेश को अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती। अपीलाधीन इंतकाल से संबंधित मूल आदेश न्यायलय अपर जिला न्यायाधीश, सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 18.05.2023 व इस निर्णय के आधार पर जारी प्रोबेट प्रमाण पत्र है तथा इस प्रोबेट प्रमाण पत्र की वैधता एवं शुद्धता की जांच करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। अपने इन तर्को के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 486 को प्रस्तुत किया।

दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने कथित वसीयत दिनांक 23.03.1990 के आधार पर स्वयं को पीड़ित होना प्रकट करते हुए यह अपील तृतीय पक्षकार के रूप में प्रस्तुत की है। पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण में सोहनलाल पुत्र रामलाल की मृत्यु दिनांक 02.04.1990 अंकित है तथा निवासी चौहिलांवाली अंकित है। जबकि न्यायालय द्वारा जारी प्रोबेट में सोहनलाल पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई मृत्यु दिनांक 13.03.2000 व निवासी 19 बीवी तहसील पदमपुर अंकित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 23.03.1990 तथा न्यायालय द्वारा जारी प्रोबेट अनुसार वसीयत दिनांक 21.04.1999 अंकित है। इस प्रकार प्रकरण में दो वसीयत एवं इसी अनुसार दो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए है जिनमें भिन्न भिन्न स्थान एवं मृत्यु दिनांक अंकित है जो जांच का विषय है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा इंतकाल संख्या 320 चक 2 के.एस.एम. दिनांक 03.11.2023 को पुर्नवलोकन कर कार्यालय आदेश कमांक 3867 दिनांक 01.01.2024 खारिज किया जा चुका है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वे प्रकरण में प्रस्तुत दोनो वसीयत एवं दोनो मृत्यु प्रमाण पत्रों एवं न्यायालय द्वारा पारित प्रोबेट को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण की पूर्ण जांच कर सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner